रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122022-240809
CG-DL-E-05122022-240809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5423] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्रहायण 14, 1944
No. 5423] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5655(अ).— सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अधिकृत किए जाने के कारण यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रगत संगणन विकास केन्द्र को 'ई-प्रमाण' मंच पर एकल चिह्न के माध्यम से किसी सरकारी सेवा को प्राप्त करने वाले निवासियों का अधिप्रमाणन या ई केवाईसी करने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का प्रयोग इस शर्त के अध्यधीन अनुज्ञात किया जाता है कि प्रगत संगणन विकास केन्द्र 'ई-प्रमाण' मंच पर केवल ऐसी सेवाएं या एप्लीकेशन के ऑनबोर्डिंग को सुनिश्चित करेगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकीयों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) और धारा 7 के उपबंधों का कठोरता से अनुपालन करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अर्थात् :-

(i) आधार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए निवासी से सूचित सहमति अभिप्राप्त की जाएगी;

(ii) जिस प्रयोजन के लिए आधार संख्या और संबंधित जानकारी मांगी जा रही है, विशेष रूप से जिस रीति में आधार संख्यांक एकत्र, संगृहीत और उपयोग किया जाता है, उसे निवासियों को संसूचित किया जाएगा;

(iii) निवासी को पहचान या सत्यापन के वैकल्पिक तंत्र के बारे में सूचित किया जाएगा क्योंकि तत्काल आधार अधिप्रमाणन का उपयोग बिल्कुल स्वैच्छिक आधार पर अनुज्ञात किया जाता है;

(iv) आधार अधिप्रमाणन की विफलता के कारण निवासी को किसी भी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा;

(v) तंत्र में कहीं भी आधार संख्यांक उपदर्शित नहीं होगा और जहां कहीं अपेक्षित हो वहां केवल आधार संख्यांक के अंतिम चार अंक उपदर्शित किए जा सकेंगे;

(vi) यदि अपेक्षित हो तो लाभार्थियों का बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन केवल प्रगत संगणन विकास केन्द्र द्वारा रजिस्ट्रीकृत या सत्यापित ऑपरेटर द्वारा सहायता प्राप्त पद्धति या नियंत्रित वातावरण में किया जाएगा ।

2. प्रगत संगणन विकास केन्द्र, केन्द्रीय सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिकथित आधार अधिप्रमाणन के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगा ।

[फा. सं. 9(6)/2022-आईटीईए]

सुनीता, वैज्ञानिक 'जी' और समूह समन्वयक

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

S.O. 5655(E).— In pursuance of rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Electronics and Information Technology having been authorised by the Central Government, hereby notifies that the Centre for Development of Advanced Computing is allowed to use Aadhaar authentication services, on voluntary basis, for authentication or eKYC of residents availing any government service through 'e-Pramaan' single sign on platform, subject to the condition that the Centre for Development of Advanced Computing shall ensure onboarding of only such services or applications on 'e-Pramaan' platform which are strictly in compliance of the provisions of sub-section (4) of section 4 or section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), subject to following conditions, namely:-

(i) the informed consent of the resident shall be obtained for the purpose of authentication as per the provisions of section 20 of the Aadhar Act, 2016;

(ii) the purpose for which the Aadhaar number and related information is being sought, specifically, the manner in which the Aadhaar number is collected, stored, and used shall be communicated to the residents;

(iii) the resident shall be informed of alternate mechanism of identification or verification as the instant usage of Aadhaar authentication is permitted purely on voluntary basis;

(iv) there shall not be denial of any service or benefit to resident on account of failure of Aadhaar authentication;

(v) there shall not be display of Aadhaar number anywhere in system, and wherever required only last four digits of Aadhaar number may be displayed;

(vi) if required, biometric authentication of beneficiaries shall be performed only in assisted mode or controlled environment by the operator registered or verified by the Centre for Development of Advanced Computing.

2. The Centre for Development of Advanced Computing shall adhere to the guidelines with respect to use of Aadhaar authentication as laid down by the Central Government and the Unique Identification Authority of India from time to time.

[F. No. 9(6)/2022-ITEA]

SUNITA VERMA, Scientist 'G' & Group Coordinator

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.05 22:47:56 +05'30'